प्रस्तावना

5 मई 2017 को शब्बीरपुर गाँव, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश, में राजपूतों द्वारा दलितों पर हमले की एक घटना हुई। इस हिंसा के दौरान एक राजपूत युवक की मृत्यु हो गई थी, 13 दलित लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, 40 दलित घरों को जला दिया गया था व दलितों की कुछ दुकानों को लूटा और जलाया गया था। मीडिया ने इस हिंसक घटना को राजपूतों और दलितों के बीच हुई हिंसा–प्रतिहिंसा के तौर पर रिपोर्ट किया।

पी.यू.डी.आर. (पीपल्स यूनियन फॉर डैमोक्रैटिक राइट्स) की एक टीम ने सहारनपुर जिले और शब्बीरपुर गाँव का दौरा किया। टीम ने राजपूत समुदाय के सदस्यों, दलितों, गाँव के पटवारी नाथी राम, पुलिस कर्मचारियों, गाँव में तैनात पीएससी के सिपाहियों, स्थानीय राजनेताओं जिनमें समाजवादी पार्टी से दियोबंद विधानसभा के भूतपूर्व विधायक, माविया अली शामिल थे (शब्बीरपुर गाँव दियोबंद विधानसभा में आता है) और कुछ पत्रकारों से बात की। टीम के दौरे के दौरान जहाँ एक तरफ गाँव की दलित बस्ती क्षत्तिग्रस्त दिखी और जहाँ सिर्फ कुछ औरतें और बुढ़े पुरूष मौजूद थे, वहीं दूसरी ओर राजपूत बस्ती सामान्य दिखी। वहाँ जो कुछ देखा, सुना और समझा उसे इस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है। रिपोर्ट मुख्यतः हिंसा की घटना की परिस्थिति, परिणामों व प्रशासन की भूमिका का विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट पी.यू.डी.आर. की जाँच और अन्य स्रोतों से हासिल जानकारी पर आध ाारित है।

भूमिका

'सबका साथ सबका विकास' के मायने : शब्बीरपुर की घटना को उत्तर प्रदेश के बदलते जातिगत–राजनैतिक समीकरणों के बीच भाजपा की अप्रत्याशित जीत और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी के सन्दर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में राजपूत वर्ग केवल 8 प्रतिशत हैं पर संख्या में कम होने के बावजूद भी उनका सामाजिक और आर्थिक दबदबा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुल मतों में 16 प्रतिशत मत सवर्णों के हैं, जिनपर राजपूत और ब्राह्मण वर्ग का बोलबाला रहा है। कम संख्या के बावजूद दोनों वर्ग मिलकर राज्य विधानसभा में पिछले कई चुनावों से कम से कम 25 प्रतिशत सीटों पर चुने गये हैं। राजपूत वर्ग उत्तर प्रदेश में सबसे समृद्ध समुदायों में दूसरे नम्बर पर आता है। उनसे ऊपर केवल जाट वर्ग है जो कि सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। चुनाव के दौरान राजपूतों की अहमियत और ज़्यादा देखी गई है क्योंकि उनके पास चुनाव में पैसे खर्च करने और बाहुबल दिखाने, दोनों की क्षमता है।

सहारनपुर में जनसंख्या का वितरण उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से भिन्न है। सहारनपुर में बहुसंख्यक मुसलमान (41 प्रतिशत) और दलित (26 प्रतिशत) हैं, इस कारण सवर्ण (जैसे की ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया) यहाँ गिनती में अल्पसंख्यक हैं। पिछले लोक सभा चुनावों में पंद्रह वर्षों के उपरांत भाजपा ने सहारनपुर लोक सभा सीट जीती थी और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पिछले विधानसभा चुनावों से परिणाम सुधारते हुए सहारनपुर की सात में से चार विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बची हुई तीन में से दो सीट कांग्रेस के हिस्से और एक समाजवादी पार्टी के हिस्से में आईं थीं। चार सीटों पर जीत बीजेपी के लिए बड़ी बात थी जो कि 2012 के चुनाव में केवल सात में से एक सीट पर जीत पाई थी। इस परिप्रेक्ष्य में सवर्णों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव व नए मुख्यमंत्री के रूप में एक राजपूत के शपथग्रहण ने सवर्णों के जातिगत अभिमान को और बढ़ा दिया। सहारनपुर

के इलाके में सामाजिक तनाव और उपरोक्त घटना को इसी संदर्भ में समझना ज़रूरी है।

ऐसी स्थिति में "सबका साथ सबका विकास" का चुनावी नारा बुनियादी स्तर पर जाति आधारित राजनीति की मार से विक्षुप्त जान पड़ता है। दलित तुष्टिकरण के रास्ते हिन्दुत्ववादी धुव्रीकरण का लक्ष्य साधने के प्रयास के हल्ले से उस समय पर्दा उठ जाता है जब सत्ताधारी राजनेता और प्रशासन खुले तौर पर तथाकथित ऊँची जातियों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। सहारनपुर की घटना इस क्षेत्र में इससे पहले के दो महीनों में हुई सवर्णों द्वारा सांप्रदायिक और जातिवादी हिंसा की कई घटनाओं में से एक है जिन्हें प्रशासन और राजनेताओं की संलिप्तता से अंजाम दिया गया। इस तरह की घटनाओं का सिलसिला चुनावों के बाद शुरू हुआ जहाँ पूरे क्षेत्र में एक के बाद एक घटनाएं हुईं।

विधानसभा चुनावों के बाद पहली घटना सहारनपुर के गाँव कनधली में 20 अप्रैल को हुई थी। सहारनपुर नगर निगम के चुनाव मई में होने तय थे। सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात को मिलाकर सहारनपुर नगर निगम दस साल पहले बनाया गया था किन्तु मई 2017 में पहली बार निगम पार्षद का चुनाव होना तय हुआ था। नगर निगम के दोनों चुनावी क्षेत्र सहारनपुर नगर और सहारनपुर देहात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हाथों हारी थी। इन कारणों से नगर निगम चुनावों में जीत दर्ज करना भाजपा की प्राथमिकता बन गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार भाजपा ने दलित वोटों का हिन्दू वोटों में ध्रुवीकरण करने के लिए 20 अप्रैल को अम्बेडकर जयन्ती की शोभायात्रा निकाली, जबकि अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को होती है। भाजपा सांसद राघव लखनपाल के संचालन में यह शोभायात्रा मुस्लिम बहुल कनधली गाँव से निकाली गई। सहारनपुर से बीजेपी नेता राघव लखन पाल की अगुवाई में यह यात्रा निकाली गई। स्थानीय दलित कार्यकर्ता इस मुस्लिम बहुल कनधली गाँव से शोभायात्रा निकालने के पक्ष में नहीं थे, वे 14 अप्रैल को ही अम्बेडकर जयन्ती मना चुके थे। उस दौरान दोनों समुदायों के बीच कोई झड़प नहीं

घटना और उसके बाद

क) गाँव – शब्बीरपुर गाँव सहारनपुर जिले की तहसील रामपुर मनिहारन में पड़ता है। यह गाँव बड़गाँव थाने के अंतर्गत आता है। शब्बीरपुर सहारनपुर से करीब 25 किलोमीटर दूर महेशपुर और शिमलाना गाँव के पास स्थित है। गाँव के पटवारी के अनुसार गाँव में तकरीबन 3600 लोग रहते हैं जिनमें अधिकतर राजपूत हैं। राजपूतों के बाद चमारों की संख्या सबसे ज़्यादा है हालांकि दोनों की संख्या में ज़्यादा अंतर नहीं है और दोनों ही जातियाँ तकरीबन कुल जनसंख्या का 30–30 प्रतिशत है। बाकी सब जातियाँ अपेक्षाकृत रूप से कम हैं जिनमें ब्राह्मण, नाई, तेली, कश्यप, योगी, डोम, भट, बढ़ई, बाल्मीकि और मुसलमान हैं।

इलाके में प्रमुख आर्थिक गतिविधि कृषि है और मुख्य फसलें गन्ना, गेहूं, और चावल हैं। सिंचाई सरकारी टयूबवेल द्वारा की जाती है। काफी सारे ग्रामीण परिवारों के पास खेती योग्य ज़मीन है हालाँकि ज़्यादातर बडी जोत ठाकुरों के पास हैं। दलित परिवारों का भू–स्वामित्व कम है। कुछ भूमिहीन दलित मज़दूरों के रुप में ठाकुरों के गन्ने के खेतों में काम करते हैं। उन्हें 200 रुपए प्रतिदिन व औसतन 2.5 क्विंटल गेहूँ प्रति बीघा की पैदावार में से 30 किलो गेहूँ मज़दूरी के तौर पर मिलता है। ठाकुरों के पास आटा चक्कियाँ भी हैं जिनमें दलित महिलाएँ दिहाड़ी मज़दूरों के तौर पर काम करतीं हैं। छोटे ईंट भट्टे भी चलते हैं। मात्र 5–7 दलित ही सरकारी नौकरियों में है जिनमें से एक दलित महिला दिल्ली पुलिस में कार्यरत है।

पटवारी के अनुसार गाँव की कुल ज़मीन 804 हेक्टेयर है जिसमें दलितों को सरकारी ज़मीन 0.973 हेक्टेयर मिली है, 0.389 हेक्टेयर में कब्रिस्तान है, चारागाह भूमि 1.505 हेक्टेयर है, और सरकारी बाग 30–35 बीघे पर हैं।

विधान सभा चुनावों में भाजपा ने गाँव में अधिकतम वोट हासिल किए, दूसरे नंबर पर बसपा और तीसरे स्थान पर सपा–कॉंग्रेस गठबंधन था। वर्तमान में दलित समुदाय के शिवकुमार गाँव के प्रधान हैं जिन्होंने पंचायत चुनाव में राजपूत प्रत्याशी को 30 मतों से हराया था। पिछले पंचायत चुनाव में भी दलित समुदाय के ही प्रधान चुने गये थे जिनका नाम नरेश कुमार था पर तब वह एक आरक्षित सीट थी। गाँव में दलितों और सवर्णों की अलग

अलग बस्तियाँ हैं। दलित बस्ती महेशपुर गाँव की सीमा के पास है, महेशपुर की तरफ से आते हुए शब्बीरपुर की दलित बस्ती और रविदास मंदिर शुरूआत में पड़ते हैं।

पंचायत चुनाव में शिवकुमार शायद इसलिए जीत पाए क्योंकि कई राजपूत प्रत्याशियों के खड़े होने के कारण राजपूत वोट उनमें बंट गए। इस कारण से राजपूतों ने दलित शिवकुमार की विजय को सकारात्मक ढंग से नहीं लिया और प्रधान के विरोध में रहे। एक सामान्य सीट पर दलित के जीत जाने से राजपूतों में काफी द्वेश की भावना पैदा की। यह दलित प्रधान राजनैतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से तुलनात्मक रूप से सशक्त हैं। उनके परिवार के पास करीब 80 बीघा ज़मीन है और उनके ईंट के भट्टे भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) में भी उनके राजनैतिक संबंध हैं।

ख) घटना–हिंसा की वारदात 5 मई की सुबह घटित हुई जब राजपूतों द्वारा, राजा महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिमलाना गाँव में किया गया था जिस में आस–पास के गाँवों से लेकर हरियाणा तक से कई राजपूत एकत्रित हुए थे। लोगों का दावा है कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हरियाणा से भाजपा विधायक श्याम सिंह राणा भी आयोजन में उपस्थित थे। आयोजन के उपलक्ष में एक जुलूस ठाकुरों द्वारा निकाला गया जो कि शब्बीरपुर गाँव की दलित बस्ती से होता हुआ शीमलाना तक गया। जुलूस के लिए प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी और जुलूस के दौरान ही शब्बीरपुर में हिंसा की घटना हुई।

शब्बीरपुर के दलितों को संभवतः पहले से यह पता था कि राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होने वाले हैं और किसी अनहोनी की आशंका से गाँव के प्रधान ने एक रात पहले ही पुलिस और प्रशासन को इस संबंध में आगाह कर दिया था। जुलूस राजपूत बस्ती से होता हुआ दलित बस्ती पहुँचा और रविदास मंदिर के सामने रुक गया। बताया गया कि राजपूतों ने दलितों और उनके संत रविदास को गालियाँ दीं और तेज़ आवाज़ में संगीत बजाने लगे। प्रधान ने थाना प्रभारी को पुनः फोन किया और पुलिस मौके पर पहुँच गई। पुलिस ने राजपूतों से बातचीत की और संगीत बंद करवा दिया। कुछ दलितों का तो यह भी कहना है कि जब राजपूतों द्वारा गालियाँ दी जा रही थीं तब कुछ राजपूतों ने दलितों पर पथराव भी किया जिस के जबाब में दलितों ने भी पथराव किया। इस

पथराव में पुलिस की जीप पर एक पत्थर आकर लगा और इससे थाना प्रभारी गुस्से में आ गए। संगीत बंद करवाने के बाद पुलिस वहाँ से चली गई।

कुछ ही समय बाद पुलिस वापस आई और साथ ही हज़ारों युवा मोटर–साइकिलों पर और अन्य वाहनों पर उनके पीछे आए। लगभग 5000 लोगों की इस भीड़ में 18–30 वर्ष के युवा थे, जिनका कोई नेता नहीं था। यह भीड़ खेतों के पीछे दलितों के घरों के पास एकत्रित हो गई। इनमें अधिकतर युवा भगवा पगड़ी पहने तलवार, बंदूक, और पेट्रोल–बम लिए हुए थे तथा 'जय श्री राम' और 'महाराणा प्रताप की जय' की नारेबाजी कर रहे थे।

दलितों के अनुसार सुमित नाम के एक राजपूत युवक ने रविदास मंदिर में घुस कर मूर्ति के पास पेशाब किया और रविदास की मूर्ति को तलवार से खंडित कर दिया जिससे मूर्ति की एक उंगली टूट गई। पी.यू.डी.आर की टीम ने क्षतिग्रस्त मंदिर को देखा जिसमें वह खंडित मूर्ति और टूटे हुए काँच के टुकड़े पड़े हुए थे। देखने से प्रतीत हुआ कि या तो मूर्ति गिरने की वजह से टूटी होगी या तलवार के वार से। रविदास की फटी हुई तस्वीर भी मूर्ति के पास पड़ी हुई दिखाई दी। इससे यह स्पष्ट था कि यह सब दलितों को उकसाने के मकसद से किया गया था।

इस घटना में सुमित की मृत्यु हो गई। वह शब्बीरपुर गाँव से 20–25 किमी दूर रसूलपुर टोंकगाँव से था जो कि वर्तमान भाजपा विधायक बृजेश सिंह के गाँव के पास का गाँव है। दलितों के अनुसार मंदिर से बाहर आते समय यह लड़का बेहोश हो कर गिर पड़ा। जब उसे अस्पताल जाया गया तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुमित की मृत्यु कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं है, किन्तु यह अफवाह उड़ गई की दलितों ने एक राजपूत युवक को मार दिया। जिसके बाद बड़ी संख्या में राजपूत गाँव में इकट्ठा होने लगे यह बताना अनिवार्य है कि पोस्ट–मार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया है। किन्तु राजपूत इस बात पर अडिग हैं कि सुमित को दलितों ने पत्थर और ईटों से मारा। अखबारों में आई खबरों के अनुसार सुमित की मृत्यु संभवतः मंदिर में रखी अनाज की बोरियों में लगी आग से फैले हुए धुएँ में दम घुटने से हुई थी।

राजपूत युवक की हत्या की अफवाह से शब्बीरपुर में मौजूद राजपूतों की भीड़ हिंसक हो गई और दलितों पर पत्थरबाजी करने लगी, और

तलवारों से उन पर हमला बोल दिया और उनके घरों को जलाना शुरू कर दिया। इस हमले में 40 से अधिक दलित घरों पर धावा बोला गया और उन घरों की संपत्ति जैसे की मोटर–साईकिल, पशु, बछड़े इत्यादि को जला कर राख कर दिया गया। कई दलितों की दुकानों को भी लूटा गया। दो दलित ऑटोरिक्शावालों के ऑटो को बुरी तरह तोड़ दिया गया। शादी में आए लोगों की चार मोटर–साइकिलों को भी जलाया गया। पी.यू.डी.आर. की टीम ने जले हुए घर, गोदाम, वाहन और अनाज की बोरियाँ देखीं। पड़ोस के महेशपुर गाँव में भी दलितों की कुछ दुकानों को जलाया गया।

दमकल और एम्बुलेंस की गाडियों को महेशपुर गाँव में रोक दिया गया और उन्हें आगे शब्बीरपुर जाने से रोका गया। यह घटनाक्रम पुलिस की मौजूदगी में 4–5 घंटे तक चला। स्थानीय पत्रकारों के अनुसार जब हिंसा की घटना हो रही थी तब उन्हें भी गाँव में जाने से रोका गया था। दोपहर 1 बजे के आस–पास स्थानीय सी.ओ., डी.एस.पी. और एस.डी.एम. मौके पर पहुँचे और भीड़ को नियंत्रित कर के राजपूतों को गाँव से बाहर ले गए। इस घटना में तेरह दलित गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें प्रधान और उनका पुत्र भी शामिल थे। घायलों को इलाज के लिए सहारनपुर के अस्पताल ले जाया गया।

दलितों के अनुसार तनाव का कारण

दलितों के साथ बातचीत से यह सामने आया कि शब्बीरपुर गाँव में अंतर्जातिय तनाव का कोई इतिहास नहीं रहा है। जातीय भेदभाव तो था लेकिन इससे पहले कभी कोई तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। दलित हमेशा से रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती मनाते आए हैं लेकिन समस्या रविदास मंदिर के बनने के बाद से शुरू हुई। एक सामान्य सीट से दलित के सरपंच चुने जाने से राजपूतों को अपना दबदबा खतरे में पड़ता दिखाई दिया। दलितों के अनुसार अपना प्रभुत्व दोबारा कायम करने की कोशिशों में ही राजपूत राणा प्रताप की जयंती जैसे समारोह का आयोजन कर रहे हैं और यह सब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुरू हुआ है।

दलित समुदाय 14 अप्रैल को अंबेडकर की मूर्ति रविदास मंदिर में स्थापित कर के अंबेडकर जयंती मानना चाहता था। मूर्ति स्थापित होने से पहले ही कुछ राजपूतों ने पुलिस में शिकायत कर दी, पुलिस ने दखल देकर प्रशासनिक अनुमति के बिना मूर्ति की स्थापना पर ऐतराज उठाया। दलितों

ने पुलिस की बात मान ली और मूर्ति नहीं स्थापित की। यद्यपि दलित यह मूर्ति अपने ही मंदिर में स्थापित करना चाहते थे, फिर भी उन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। दलितों द्वारा अपने राजनेता की मूर्ति गाँव में स्थापित करने की कोशिश राजपूतों को नागवार गुज़री, जो इसे दलितों के बढ़ते राजनैतिक प्रभाव के रूप में देख रहे थे। राजपूत पहले से ही सरपंच के चुनाव को एक दलित के हाथों हारने से गुस्से में थे। दलितों को लगता है कि 5 मई की घटना पूर्व पूर्वनियोजित थी और राजपूतों ने यह हिंसा दलितों पर अपना वर्चस्व जताने की लिए की थी।

दलितों का कहना है की गाँव के ज़्यादातर राजपूत परिवारों ने जुलूस में भाग लिया था और उन्होंने आस–पास के गाँवों से अपने जान–पहचान के लोगों को भी बुला लिया था जैसे कि पड़ोस के गाँव महेशपुर के प्रधान, जिला पंचायत के सदस्य नकली सिंह आदि भी हमलावरों में शामिल थे।

पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए दलितों ने कहा कि उन्होंने हमले के दौरान पुलिस को राजपूतों से कहते हुए सुना कि राजपूतों के पास एक–डेढ़ घंटा है और इस दौरान वे जो चाहे कर सकते हैं। दलितों ने माना कि उन्होंने पथराव किया था पर उनका कहना है कि यह उन्होंने केवल आत्मरक्षा में किया था। बस्ती में कम ही पुरुष मौजूद थे क्योंकि बहुत सारे पुरुष काम पर गए हुए थे। घटना के बाद काफी दलित परिवार गाँव छोड़ कर भाग गए हैं क्योंकि उन्हें फिर से राजपूतों के हमले की आशंका है और प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैय्या नहीं करवा रहा है। दलितों का कहना है कि वे अब राजपूतों के खेतों में और आटा चक्की में काम पर नहीं जाते हैं। उन्हें अब अपना भविष्य संकट में लग रहा है।

राजपूत समुदाय का पक्ष

मोटे तौर पर राजपूत समुदाय के लोग पी.यू.डी.आर. की टीम से बात करने में कतरा रहे थे। उन्होंने घटनाक्रम के संबंध में अपनी अनभिज्ञता जताई और कहा कि क्या हुआ इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता क्योंकि वे खेतों में काम पर गए हुए थे। उन्होंने ज़ोर दे कर कहा कि ना तो वे राणा प्रताप की जयंती के जलूस के बारे में जानते थे और ना ही उन्हें जुलूस में आमंत्रित किया गया था। बाहर से आए कुछ लोगों ने शब्बीरपुर गाँव के राजपूतों को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन इस गाँव के लोगों ने हिस्सा नहीं लिया था। ज़्यादा ज़ोर देने पर उन्होंने कहा कि गाँव के सात–आठ युवकों ने जुलूस में भागीदारी तो की थी पर कोई भी हिंसा में

शामिल नहीं हुआ था। सुमित के रिश्तेदारों का कहना था की सुमित अपनी एक रिश्तेदार को इलाज के लिए लेने आया था, जुलूस मे शामिल होने के लिए नहीं। उन्हें शक था कि हिंसा की शुरुआत होते ही किसी ने उसे पत्थर मार कर घायल कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

राजपूतों से बातचीत करने पर पता चलता है कि वे 5 मई की घटना से स्वयं को दूर रखना चाहते हैं किन्तु दोनों समुदायों के बीच जाति आधारित तनाव ही हिंसा का कारण था। राजपूत समुदाय का आरोप था की दलितों ने पहले पथराव शुरू किया और यहाँ तक कि दलितों ने स्वयं अपने घरो में आग लगाई थी। उनका कहना था कि लड़ाई की असली वजह प्रधान है और उसने ही लड़ाई करवाई है। उनके अनुसार प्रधान दलितों का ही पक्ष लेता है। दलित बस्ती में बिजली की व्यवस्था को वे इसका एक उदाहरण बताते हैं। उनका कहना है चुनाव से एक दिन पहले प्रधान ने स्वेटर बंटवाए थे और इसीलिए ही वह चुनाव जीता था। दलितों ने आपस में गुट बनाकर उनके खेतों में काम करना बंद कर दिया है और अब उन्हें मजबूरन बाहर से मज़दूर लाने पड़ रहे हैं।

प्रशासन का दृष्टिकोण

गाँव के पटवारी नाथी राम भी एक दलित हैं। वे 5 मई की हिंसा के दौरान गाँव में मौजूद थे। उन्होंने घटना का पूरा विवरण पी.यू.डी.आर. की टीम को दिया। उन्होंने राजपूतों द्वारा रविदास मंदिर में मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने, लूटपाट करने, दलितों पर पथराव और तलवार से हिंसक आक्रमण के बारे में बताया। उन्होंने हिंसा की आशंका की खबर थाने में प्रधान द्वारा पहले से ही दिए जाने और दलितों द्वारा आत्मरक्षा में पथराव करने के बारे में भी बताया। हालाँकि सरकारी कर्मचारी होने के कारण उन्होंने प्रशासन की संलिप्तता के बारे में कुछ नहीं कहा और कहा कि वहाँ केवल 3–4 पुलिस अधिकारी ही मौजूद थे और भीड़ बहुत उग्र थी। पुलिस ने हवा में गोलियाँ अवश्य चलाईं पर भीड़ पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ा। पुलिस के पास मूक दर्शक होने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि भीड़ उन पर भी हमला कर सकती थी।

बड़गाँव थाने के वरिष्ठ सब–इंस्पेक्टर व अन्य पुलिसकर्मियों ने साफ तौर पर कहा कि राजपूतों ने हिंसा की थी किन्तु दलितों ने हिंसा की शुरुआत की थी और राजपूतों को उकसाया था। सब–इंस्पेक्टर ने बताया

कि दलितों ने पथराव शुरू किया और पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके। पुलिस के अनुसार राजपूतों ने बाद में जवाबी हमला किया। पुलिस का विवरण राजपूतों के विवरण से पूरी तरह से मेल खाता है। प्रशासन के सभी कर्मचारियों के पास घटना को समझाने का एक जैसा विवरण था। उनके अनुसार एक अनियंत्रित भीड़ आक्रामक हो गई और संख्या में कम होने के कारण पुलिस बल कुछ नहीं कर पाया क्योंकि हस्तक्षेप की स्थिति में पुलिस पर भी हमला हो सकता था। यहाँ पुलिस का खुद को असहाय बताकर मूकदर्शक बने रहना निंदनीय है।

हमें बताया गया कि दोनों ओर से 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिनमें उस समय तक 8 दलित और 9 राजपूत गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस ने गिरफ्तार हुए राजपूतों के नाम देने से मना कर दिया। गाँव के दलितों का कहना है किसी भी राजपूत को गिरफ्तार नहीं किया गया है। सपा के पूर्व विधायक माविया अली का दावा था कि सभी गिरफ्तार राजपूतों को उसी दिन भाजपा विधायक बृजेश सिंह के विरोध के चलते छोड़ दिया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गिरफ्तार हुए राजपूत अगले एक महीने तक हिरासत में थे।

ग) घटना के बाद –जैसा की पहले बताया गया 5 मई की हिंसक घटना में 13 दलित गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को सहारनपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गाँव के प्रधान के बेटे को इतनी गंभीर चोटें आईं थीं कि उन्हें देहरादून के अस्पताल में ले जाना पड़ा था।

घटना के बाद नौ प्राथमिकियां (एफआईआर) दर्ज की गई थीं, जिसमें से पहली तीन, पहले ही दिन राजपूतों की शिकायत पर दर्ज की गई थीं। यह मुकदमे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 (आपराधिक गुट में खतरनाक हथियारों के साथ शामिल होना), 148 (खतरनाक हथियारों से दंगा करना), 149 (आपराधिक गुट में शामिल लोगों की सज़ा), 307 (हत्या का प्रयास), 504 (शान्ति भंग करने के इरादे से अपमान करना), और 506 (आपराधिक रूप से डराने–धमकाने के लिए सज़ा) के तहत दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों में 200 अज्ञात लोगों के साथ गाँव के प्रधान समेत दलित समुदाय के 24 लोगों को नामजद किया गया है। चौथी प्राथमिकी पत्रकार अशोक कुंडिल द्वारा गाँव के प्रधान समेत अन्य दलितों पर उन्हीं धाराओं के तहत दर्ज़ करवाई गई थी जो पहली तीन एफआईआर में हैं। पुलिस ने प्रधान के अलावा अन्य किसी का नाम बताने से इनकार कर दिया।

दलितों की शिकायत पर 200 अज्ञात समेत 40 राजपूतों के खिलाफ पांचवीं एफआईआर दर्ज की गई जिनमें धारा 147, 148, 149 के अतिरिक्त 395 (डकैती), 295 (धार्मिक भावनाएँ भड़काने की नीयत से आराध्य स्थलों को नुकसान पहुँचाना), 354 (महिलाओं से दुर्व्यवहार) 436 (आगजनी), 323 (चोट पहुँचाना) के अलावा अनुसूचित जाति–जनजाति (अत्याचार निरोधी) अधिनियम, 1989 की धाराएं लगाई गईं।

छठी एफआईआर पुलिस द्वारा धारा 147, 148, 149, 307, 356, 332, 427, 435 आई. पी. सी. के तहत राजपूत और दलित दोनों समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज की थी। अंतिम तीन मुकदमे दलितों की शिकायत पर राजपूतों के विरुद्ध दर्ज पाँचवें मुकदमे की धाराओं के तहत दर्ज किए गए थे। इन शिकायतों में लगभग 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया गया और सातवें, आठवें, और नवें मुकदमों में क्रमशः 20,12, 33 राजपूतों को नामजद किया गया। 9 मई तक 17 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था और बाद में और भी गिरफ्तारियाँ की गईं थीं। 4 जून को गाँव के प्रधान शिवकुमार और तीन और दलितों को 5 मई की घटना के लिए गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्ट लिखे जाने तक मृतक राजपूत युवक के परिवार को 15 लाख रुपए मुआवज़े के तौर पर दिए जा चुके थे, किन्तु दलित परिवारों को उनके जान–माल की हानि के लिए कोई भी मुआवज़ा नहीं दिया गया था। दलित परिवारों के लिए 35 से 50 हज़ार तक के मुआवज़े की बात चल रही थी हालाँकि प्रशासन के एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि क्योंकि अधिकतर उच्च अधिकारी तथाकथित ऊँची जातियों से हैं इसलिए वे दलितों को किसी भी प्रकार की सहायता राशि देने की विरोध में हैं।

दलितों के लिए समुचित मुआवज़े और दोषी राजपूतों के खिलाफ कार्यवाही की माँग रखने के लिए सहारनपुर के दलित संगठन भीम सेना एकता मंच ने 9 मई को सहारनपुर में महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में दलितों के अधिकारों के लिए काम करने वाले सभी संगठनों को सहारनपुर शहर के सन्त रविदास छात्रावास में आमन्त्रित किया गया था। हज़ारों की संख्या में दलित कार्यकर्ताओं ने इस महापंचायत में भाग लिया था। प्रशासन ने महापंचायत रोकने के लिए इलाके में 144 आई. पी. सी. लगा दी थी। यह देखते हुए आयोजकों ने स्थान बदलकर गाँधी मैदान कर दिया था। किन्तु जैसे ही गाँधी मैदान में शान्तिपूर्ण सभा शुरू हुई पुलिस ने

दलितों की हक की लड़ाई, जातीय भेदभाव और पक्षपाती प्रशासन

कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। हमले से गुस्साई भीड़ आक्रामक हो गई और रामनगर की पुलिस चौकी और कुछ वाहनों में आग लगा दी। इस हिंसा पर तेज़ी से कार्यवाही हुई और 31 दलितों को हिरासत में ले लिया गया। उस दिन से भीम सेना के विरुद्ध छापेमारियाँ शुरू हो गईं और 20 मई को सेना के पाँच सदस्यों को धार्मिक भावनाएँ भड़काने व साम्प्रदायिक हिंसा के आरोप में और आईटी अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर के गिरफ्तार कर लिया गया। भीम सेना के अध्यक्ष चन्द्रशेखर समेत तीन सदस्यों पर शासन विरोधी कार्य करने और जनभावना भड़काने के आरोप लगाए गए। पुलिस ने भीम सेना का फेसबुक पेज हटाने के लिए 6 जून को न्यायिक आदेश प्राप्त कर लिया और 8 जून को चन्द्रशेखर को डलहौजी से गिरफ्तार कर लिया।

क) जाति विभाजन

शब्बीरपुर की हिंसक घटना दलित उत्थान और दलितों के राजनैतिक सशक्तिकरण से उपजी सवर्णों की ईर्ष्या, द्वेष और असुरक्षा का उदाहरण है। हालाँकि गाँव के राजपूत भू–स्वामित्व के लिहाज से दलितों से ज़्यादा समृद्ध हैं किन्तु कई दलित परिवारों के पास भी ज़मीन है और उनमें एकजुटता भी है। गाँव में सन्त रविदास के मंदिर का होना, हर वर्ष सन्त रविदास और अम्बेडकर जयन्ती का मनाया जाना और एक अनारक्षित सीट पर गाँव के एक दलित प्रधान का निर्वाचित होना दलित एकजुटता और उनके उत्थान का परिचायक है जो राजपूतों को नागवार गुज़र रहा है। राजपूतों की इर्ष्या का अन्य कारण गाँव के दलित प्रधान का समृद्ध और सशक्त होना भी है जिनके पास ज़मीन और ईंट के भट्टे भी हैं और बसपा में कुछ संबंध भी हैं।

दलितों पर हिंसा का उद्देश्य था उनके बढ़ते सशक्तिकरण को छिन्न–भिन्न करना जिसमें कुछ हद तक राजपूत कामयाब भी हो गए हैं। दलितों के नुकसान की भरपाई करने से राज्य का इनकार करना उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ देगा।

राजपूतों की कुंठा का कारण भीम सेना का बढ़ता प्रभाव भी है। यह संगठन 2 साल पहले बना जो दलितों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक करता रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से सहारनपुर में काफी सक्रिय है। हालांकि, संगठन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा द्वारा दलित सशक्तिकरण है किन्तु संगठन ने दलित अत्याचारों के विरुद्ध भी आवाज उठाई है जिससे इलाके के दलितों को बल मिला है। इस हमले के पीछे राजपूतों की मंशा दलितों के बढ़े हुए आत्मबल को गिराने की भी थी ताकि पुरानी चली आ रही जाति–व्यवस्था कायम रह सके और दलित आगे न बढ़ सकें।

व्यवस्था–विरोधी दलित उत्थान को निष्क्रिय करने में प्रशासन और राज्य सरकार राजपूतों का साथ देने में संलिप्त दिखाई पड़ते हैं। राज्य सरकार भीम सेना के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए है और एस.एस.पी. सुभाष चन्द्र दुबे ने भीम सेना को नक्सलवादी कह दिया है जो अम्बेडकर के विपरीत केवल हिंसा में विश्वास रखती है।

ख) प्रशासन की भूमिका

स्थानीय प्रशासन और मीडिया 5 मई की घटना को मात्र दो जातियों–राजपूतों और दलितों में टकराव और तनाव का नाम दे रहा है किन्तु पी.यू.डी.आर. ने अपनी पड़ताल में पाया कि राजपूतों ने प्रशासन के सहयोग से यह हिंसा सुनियोजित ढंग से दलितों पर की ताकि दलितों को आगे बढ़ने से और अपने हकों की बात करने से रोका जा सके।

प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम में पक्षपातपूर्ण रवैय्या अपनाया था। जब दलितों ने अपने मंदिर में अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करनी चाही तो प्रशासन ने उसे रुकवा दिया किन्तु जब राजपूतों ने महाराणा प्रताप जयंती मनाई तो उन्हें तब तक नहीं रोका गया जब तक वे हिंसक नहीं हो गए।

पूरी घटना को ध्यान से देखने पर प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल उठते हैं। 5 मई को शुरूआत में भीड़ को शान्त कर गाँव से बाहर भेज देने के बाद थाना प्रभारी को फिर से पुलिस लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? और इस बात को कैसे नज़रअंदाज़ किया जा सकता है कि राजपूतों की भीड़ पुलिस के पीछे–पीछे आई लेकिन पुलिस को इसकी खबर नहीं लगी।

प्रशासन का दावा कि कम संख्या में पुलिसबल होने की वजह से वे हिंसक भीड़ को नियन्त्रित नहीं कर पाए, एकदम निराधार है। सच्चाई तो यह है कि प्रशासन अपनी संलिप्तता छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस को ग्राम प्रधान ने पहले ही खबर कर दी थी कि राजपूत महाराणा प्रताप जयंती मनाना चाहते हैं जिसमें भारी संख्या में भीड़ जमा होने वाली है और कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है बावजूद इसके जुलूस को रोकने अथवा अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यह अपने आप में आश्चर्यजनक है कि जिला मुख्यालय से मात्र 25 कि.मी. की दूरी पर इतनी बड़ी संख्या में जुलूस के लिए एकत्रित हो रही भीड़ के बारे में पुलिस और स्थानीय प्रशासन को कोई खबर नहीं थी। शब्बीरपुर गाँव जिला मुख्यालय से ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए अतिरिक्त बल बुलाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। राजपूतों द्वारा 2–3 घंटे तक हमला किया गया किन्तु पुलिस ने राजपूतों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वास्तविकता तो यह है कि पुलिस बल का कम होना, अपनी मिलीभगत छुपाने का बहानामात्र है, पूरा घटनाक्रम पुलिस की उपस्थिति में हुआ था। ऐसी भी खबर है कि आसपास के तीन थानों से पुलिस आई थी किन्तु राजपूतों को रोकने के लिए उसने कुछ नहीं किया, न ही बल प्रयोग किया, न आँसू–गैस के गोले छोड़े, और न ही लाठी चार्ज किया बल्कि राजपूतों को खुली छूट दी कि वे दलितों को आतंकित कर सकें। प्रशासन के पास इसका भी कोई उत्तर नहीं है कि बिना अनुमति के जुलूस को आगे क्यों बढ़ने दिया गया और राजपूतों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

प्रशासन का पक्षपातपूर्ण रवैय्या इससे भी ज़ाहिर होता है कि अभी तक दलितों के लिए किसी भी मुआवज़े की कोई घोषणा नहीं हुई है जबकि मृतक राजपूत युवक के परिवार को मुआवज़े की एवज में 15 लाख का भुगतान कर कर दिया गया है। पुलिस ने 9 मुकदमों में कुल 700 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है इससे यह आशंका प्रबल हो जाती है कि बाद में दलितों को इन मुकदमों में फंसाया जा सकता है। हिंसा में जान–माल की हानि सहने वाले दलितों को इन्साफ और सहानुभूति की जगह सरकार 9 मई की घटना का बहाना बनाकर दलितों को निशाना बनाने में लगी हुई है।

ग) पुनः आक्रमण

5 मई की घटना कोई अकेली ऐसी घटना नहीं है, जैसा कि पहले बताया गया है कि पूर्व में, इसी इलाके में दलितों और मुस्लिमों में आक्रमण की घटनाएं होती रही हैं। राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद लगता है सवर्ण हिन्दुओं को भरोसा हो गया है कि प्रशासन और सरकार उनके साथ मिलकर जातीय हिंसा को अंजाम देगा और संभवतः इसी कारण वे इस सुनहरे मौके का पूरा लाभ उठा लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं होती रहेंगी।

बसपा की मुखिया मायावती ने 23 मई को शब्बीरपुर गाँव का दौरा किया था। कुछ समाचार–पत्रों के अनुसार मायावती के आने से पहले राजपूतों ने पुनः दलितों के घरों पर पथराव किया था। ऐसी खबर भी आई कि कुछ दलितों ने राजपूतों के कुछ घरों को जला दिया। मायावती के गाँव से चले जाने के बाद राजपूतों की एक भीड़ ने फिर से तलवारों के साथ दलितों पर हमला बोल दिया था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में तीन जानें गईं किन्तु इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। सरकारी आँकड़े के अनुसार एक ही व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इस घटना में मारे गए दलित युवक के लिए सरकार की तरफ से 15 लाख रुपये का मुआवज़ा और घायलों को 50 हज़ार रुपये की नकद राशि दी जाने की घोषणा हुई। हिंसा को न रोक पाने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस.सी. दुबे और जिला कलेक्टर एन.पी. सिंह को निलम्बित कर दिया गया और उपमहानिरीक्षक एन.पी. अग्रवाल और मण्डल आयुक्त जे.के. शाही का स्थानान्तरण कर दिया गया। ठाकुर समुदाय से 24 लोगों को गिरफ्तार तो किया गया था किन्तु 15 जून को 5 मई से 23 मई तक की घटनाओं की जाँच के लिए बनी विशेष अन्वेषण टीम की सिफारिश पर इनमें से आठ ठाकुरों को छोड़ दिया गया।

दलितों पर निरन्तर हो रहे हमलों को पिछले समय में हुए दो घटनाक्रमों के संबंध में समझा जा सकता है। 5 मई की घटना के बाद राजपूतों पर प्रशासन द्वारा कोई भी कार्यवाही न करने से राजपूतों को यह घटनाएँ दोहराने के लिए बल मिला है। दूसरी ओर शब्बीरपुर की घटना के बाद दलित संघर्ष ने व्यापक रूप लिया और दिल्ली के जंतर मंतर तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। 21 मई को दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन में भीम सेना ने लगभग दस हज़ार दलितों को लामबन्द किया था जिन्होंने शब्बीरपुर की हिंसा की निंदा की और कार्यवाही की माँग की। इसके बाद 23 मई को

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में सवर्णों द्वारा दलितों पर हो रही हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इस रुझान को हिन्दू राष्ट्रवादी सरकार के बनने और राज्य में नए राजपूत मुख्यमन्त्री के होने से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जहाँ एक ओर भाजपा अम्बेडकर जैसे दलित नायकों का सहारा लेकर राजनीतिक लक्ष्य साधने की कोशिशें कर रही है वहीं दूसरी ओर तथाकथित ऊँची जातियाँ दलितों पर हिंसक वारदातों को अन्जाम दे रही हैं। महाराणा प्रताप की जयन्ती मनाना एक प्रतीकात्मक छलावा है। जैसे जैसे दलित राजनैतिक रूप से प्रबल और लामबन्द होते जा रहें हैं तथाकथित ऊँची जातियों के दलितों के ऊपर हमले भी बढ़ते जा रहा हैं। यह बताना ज़रूरी है कि जाति और समुदाय के नाम पर दमन और इसका प्रतिरोध सहारनपुर या उत्तर प्रदेश में नई बात नहीं है। नई बात यह है कि राज्य में नयी भाजपा सरकार के बनने के बाद तथाकथित ऊँची जातियों का आत्मबल बढ़ गया है और उन्हें लगभग यह यकीन हो गया है कि प्रशासन से उन्हें पूरी छूट प्राप्त है। पिछले वर्ष सहारनपुर के गड्कौली गाँव में कुछ दलितों ने अपनी भूमि पर "द ग्रेट चमार डॉ. भीमराव अम्बेडकर गाँव गड्कौली" का बोर्ड लगा लिया था। गाँव के ठाकुरों ने इसका विरोध किया और प्रशासन से शिकायत कर दी। लेकिन वहाँ के दलितों ने भीम सेना के साथ मिल कर झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ जिसमें पथराव हुआ और कुछ दलितों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज भी हुआ। अंततः इस प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ, पुलिस वापस चली गई और दलितों के 'द ग्रेट चमारज़' बोर्ड को वापिस लगाने की अनुमति मिल गई।

इस घटना से पता चलता है कि अब क्या बदल गया है। सरकार बदलने के साथ ही सवर्ण और हिन्दुत्ववादियों द्वारा प्रशासन और सरकार के गुप्त समर्थन से जातीय दमन और हिंसा की जा रही है। राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त होने से ऐसी घटनाओं में वृद्धि स्वाभाविक है। कुछ अफसर अगर कार्यवाही करते भी हैं तो उन्हें उल्टा दण्डित कर दिया जाता है। दूधली जुलूस के प्रतिरोध में कार्यवाही करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार के घर पर भाजपा सांसद राघव लखनपाल की अगुवाई में न

केवल भाजपाइयों और हिन्दुवादी भीड़ ने हमला किया, बल्कि सरकार ने उल्टा उन्हीं का तबादला कर दिया।

जातिगत हिंसा को प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त होने से दलितों में असुरक्षा और चिंता की भावना पैदा हो गई है। इसका सबसे ताजा उदाहरण शब्बीरपुर की घटना के बाद सहारनपुर के लगभग 280 दलित परिवारों का हिन्दू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर लेना है। दूसरी ओर भीम सेना द्वारा दलितों को एकजुट करने और हिन्दुत्व विरोधी और जाति विरोधी शक्तियों के साथ संवाद कायम करने के कारण प्रशासन के लिए भीम सेना का उन्मूलन राजनैतिक दृष्टि से अनिवार्य हो गया है।

पी.यू.डी.आर यह माँग रखता है कि :

1. शब्बीरपुर की हिंसा में संलिप्त सभी राजपूतों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
2. शब्बीरपुर की घटना में दलितों को जान–माल की हानि के लिए सरकार द्वारा उचित मुआवज़ा दिया जाए।
3. 5 मई और 23 मई को शब्बीरपुर, महेशपुर और अन्य गाँवों में हुई हिंसा और प्रतिहिंसा में हुए दलितों के नुकसान का सही ढंग से और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार प्रतिरोधी) अधिनियम, 1989 के तहत आकलन हो और मुआवज़ा दिया जाए।
4. शब्बीरपुर मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पुलिस कर्मियों और स्थानीय अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए।

प्रकाशित : सचिव, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR)

प्रतियों के लिये : डॉ. मौशुमी बासु, ए 6/1, अदिति अपार्टमेंटस, पॉकेट डी, जनकपुरी, नई दिल्ली 110056,

pudrdelhi@gmail.com

मुद्रण :

वेबसाइट : www-pudr-org

सहयोग राशि : 10 रुपये